



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-1542/RJ/5/2023-ESDW

दिनांक: 19.04.2023

श्री सुरेश कुमार ओला,
जिला कलेक्टर,
जिला सवाई माधोपुर,
कलेक्ट्रेट सवाई माधोपुर,
राजस्थान -322001
ई-मेल: dm-saw-rj@nic.in

श्री हर्ष वर्धन अगरवाला,
पुलिस अधीक्षक (जिला मुख्यालय),
जिला कलेक्टर,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
राजस्थान -322001
ई-मेल: sp-saw-rj@nic.in

विषय: जिलाधिकारी व तहसीलदार, खण्डार द्वारा आवेदक की जमीन की गलत रिपोर्ट बनाकर अनावेदकों को फ़ायदा पचुचाने तथा गलत जाँच करने के संबंध में श्री मनराज, निवासी झूंगरी हाल, थाना-कुंडेरा, तहसील-खण्डार, जिला-सवाई माधोपुर, राजस्थान का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री मनराज से एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जाँच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबंधित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि:

(डॉ. जयंत सरोदे)
निदेशक

प्रतिलिपि संलग्न:

1. श्री मनराज,
निवासी झूंगरी हाल, थाना-कुंडेरा,
तहसील-खण्डार, जिला-सवाई माधोपुर,
राजस्थान
2. एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर
अपलोड करने हेतु।